मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)

14/01/2025	- प्रकरण प्रस्तुत / नियत दिनांक को शा० अवकाश। - आवेदक विजय अनुपस्थित। - संयुक्त जांच प्रतिवेदन अप्राप्त, स्मरण पत्र जारी हो। - अखबारी ईश्तहार का प्रकाशन उपरांत ज्ञापन जारी वापस प्राप्त नहीं। - प्रकरण संयुक्त जांच प्रतिवेदन हेतु। मा०डि० 20/01/2025 अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)	

PDF Scanner ACE Scanner

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0) मनेन्द्रगढ़
जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर(छ0ग0)

रा0प्र0क्र0 202410330400025/अ–62/
वर्ष 2024–25, ग्राम नागपुर

उप मुख्य अभियंता(निर्माण),
साउथ ईस्ट सेन्ट्रल रेल्वे,
रेल्वे स्टेशन, शहडोल जिला शहडोल(म0प्र0) .... आवेदक

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ शासन ....अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक 14/05/2025)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/कार्यालय उप मुख्य अभियंता(निर्माण), साउथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे, रेल्वे स्टेशन, शहडोल पिन नं0 484001 का पत्र क्र./DYCE/Con-I/SDL/Boridand-Ambikapur/1059 दिनांक 26.08.2024 द्वारा पत्र कलेक्टर महोदय जिला एम0सी0बी0(छ0ग0) का पत्र कमांक/10206/वाचक/कले0/2024, मनेन्द्रगढ़, दिनांक 17/09/2024 के माध्यम से इस कार्यालय को बौरीडांड–सूरजपुर सेक्शन के बीच दोहरीकरण कार्य के संबंध में रेल्वे भूमि में 149 पेड़ों को काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

न्यायालय में पंजीबद्ध कर राजस्व विभाग, वन विभाग एवं रेल्वे विभाग से संयुक्त जांच प्रतिवेदन लिया गया। राजस्व निरीक्षक ग्रामीण मनेन्द्रगढ़, परिक्षेत्र सहायक मनेन्द्रगढ़ एवं कनिष्ठ अभियंता(रेल पथ निरक्षक) साउथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे बी0आर0एच0 का जांच प्रतिवेदन उप मुख्य अभियंता (निर्माण), द.पू.मध्य रेल्वे, अम्बिकापुर, सूरजपुर पिन नं 497229 (छ0ग0) से प्राप्त, जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि कि बौरीडांड–सूरजपुर रेल्वे दोहरीकरण परियोजना में प्रभावित होने वाले राजस्व क्षेत्र तहसील मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत संयुक्त टीम द्वारा पेड़ों की जांच कर निम्नानुसार प्रतिवेदन वृक्षों की कटाई हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है :–

क्र0	ग्राम का नाम	तह0/ उप तह0	खम्बा नं0/खसरा नं0	वृक्ष के प्रकार	वृक्षों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	साल्ही	मनेन्द्रगढ़	खम्बा नं0 931/15, 931/16, 932/02, 932/04, 932/05, 932/09, 932/12 (रेल्वे भूमि)	पलास, महुआ, तेन्दू, जीगन, कर्मी, इमली	29 नग
2	भल्लौर	मनेन्द्रगढ़	खम्बा नं0 932/12, 933/1, 933/03, 933/5, 933/07 (रेल्वे भूमि)	तेन्दू, महुआ, जामुन, आम, पीपल, नीम, सेमर, खाजा, गुंजा, बबूल, गुलर, पलास, बांस,	35 नग
3	डंगौरा	मनेन्द्रगढ़	खम्बा नं0 933/09, 933/11, 933/13, 933/17, 933/04, 934/06, 934/11, 934/14 (रेल्वे भूमि)	आम, जामुन, लाई, नीम, पलास, सागौन, नीलगिरी, पीपल	53 नग
4	शंकरगढ़	मनेन्द्रगढ़	खम्बा नं0 935/09, 936/12 (रेल्वे भूमि)	पलास, बबूल, गुलमोहर, आम, नीलगिरी, शीशम, सागौन	08 नग

ACE Scanner

5	बेलबहरा	नागपुर	खम्बा नं0 937/14, 938/02, 938/03, 938/04, 938/05, 938/06, 938/10, 938/14, 939/01, 937/18, 937/19, 937/20, 937/21, 938/1, 938/2, 938/3, 938/4, 938/5, 938/6, 938/7, 938/7, 938/8, 938/9, 938/10 (रेल्वे भूमि)	आम, पलास, सागौन, महुआ, धावरा, नीम, हल्दू, जामुन, पीपल, बरगद, लिपटस्	196 नग
6	उदलकछार	नागपुर	खम्बा नं0 939/03, 939/04, 939/08, 939/10, 939/11, 939/12, 939/15, 939/16, 939/17, 939/18, 940/01, 940/02, 940/03, 940/04, 939/06 (रेल्वे भूमि)	पलास, नीम, तेन्दू, कारी, सिधा, चार, भेलवा, धावरा, भरही, बेल, जीगन, सलेआ, बैर, हल्दू, वुल्वा, तेन्दू, जावड़ा,	173 नग
7	लाई	नागपुर	खम्बा नं0 940/11, 943/12, 943/20, 943/21, 944/3, 944/6, (रेल्वे भूमि)	पलास, सागौन, जीगन, पीपल	35 नग
8	सरौला	नागपुर	खम्बा नं0 945/10, 946/3 (रेल्वे भूमि)	पलास, नीम, जामुन, पीपल	04 नग
9	बंजी	नागपुर	खम्बा नं0 946/15, 947/1, 947/4–9, 947/9–11, 947/11–14 (रेल्वे भूमि)	आम, जामुन, गुलर, पीपल, पलास, बांसा, सीरस, ऑवला, बरगद, नीम, अरकेसीया,	51 नग
10	सेमरा	नागपुर	खम्बा नं0 948/1–4, 949/2 (रेल्वे भूमि) एवं खसरा नं0 327/4 (निजी भूमि)	सीरस, नीम, पलास, जीगन, ऑवला, आम	10 नग
11	दर्रीटोला	नागपुर	खम्बा नं0 949/12, 950/2, 950/16 (रेल्वे भूमि)	पीपल, पोटे, गुलर, सेमर, पलास, नीम	18 नग
12	लोहारी	नागपुर	खम्बा नं0 951/7 (रेल्वे भूमि)	पीपल, खज्जा, बबुल	03 नग
13	बरबसपुर	नागपुर	खम्बा नं0 952/13–14, 953/11–14, 953/14–15, 953/18–19 (रेल्वे भूमि) एवं खसरा नं0 963 (निजी भूमि)	बबुल, इमली, नीम, गुलमोहर, पलास, ऑवला, जामुन, सीरस, शीशम, पीपल	23 नग
14	उजियारपुर	नागपुर	खम्बा नं0 955/16–17, 955/10–11 (रेल्वे भूमि) एवं खसरा नं0 722, 721, 720, 712, 711, 681/5, 681/7, 681/3, 679/2, 678/2 (निजी भूमि)	हर्रा, पलास, सीरस, साल, गुलमोहर, आम, करंज, नीम, शीशम, बबुल,जामुन	31 नग
				कुल वृक्षों की संख्या –	669 नग

उपरोक्तानुसार वृक्षों की कटाई हेतु संयुक्त जांच प्रतिवेदन सह वृक्षों का नाप–जोख प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण में संलग्न है। उक्त संयुक्त जांच प्रतिवेदन के संबंध में अखबारी ईश्तहार का प्रकाशन कराया गया, समय–सीमा में कोई दावा–आपत्ति प्राप्त नहीं।

प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व निरीक्षक ग्रामीण मनेन्द्रगढ़, परिक्षेत्र सहायक मनेन्द्रगढ़ व कनिष्ठ अभियंता(रेल पथ निरक्षक) साउथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे बी0आर0एच0 के संयुक्त जांच प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। अवलोकन में पाया गया कि आवेदक/कार्यालय उप मुख्य अभियंता(निर्माण), साउथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे, रेल्वे स्टेशन, शहडोल(म0प्र0) द्वारा बौरीडांड–सूरजपुर सेक्शन के बीच दोहरीकरण रेल्वे परियोजना हेतु प्रस्तावित खसरा में कुल 669 विभिन्न प्रजाति के वृक्षों को काटने की अनुमति लोकहित में चाहते है। इस संबंध में रेल्वे विभाग द्वारा बौरीडांड–सूरजपुर खण्ड के बीच

ACE Scanner

रेल्वे लाईन का दोहरीकरण परियोजना रेल्वे अधिनियम–1989 के प्रावधानों के अनुसार अनुभाग मनेन्द्रगढ़ जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर(छ0ग0) के ग्राम शंकरगढ़, बेलबहरा, उदलकछार, सरौला, लाई, सेमरा, दरीटोला, बरबसपुर, उजियारपुर में लगभग 66440 वर्गमीटर अधिग्रहण के सर्वेक्षण किया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240, 241 के तहत् लोकहित में बौरीडांड–सूरजपुर सेक्शन के बीच दोहरीकरण रेल्वे परियोजना हेतु प्रस्तावित खसरा में कुल 669 विभिन्न प्रजाति के लगे हुये वृक्षों को निम्नांकित शर्तों के अधीन वन विभाग के देख–रेख में काटने की अनापत्ति/अनुज्ञा दी जाता है।

शर्ते

1. छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240, 241 के तहत् एवं छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर 2022 के नियम 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, वृक्षों की कटाई कर सकेगा।
2. उपरोक्त वर्णित वृक्षों की कटाई के दौरान आम–जनता के निस्तारी एवं उनके दिन–चर्या की सुविधाओं यथा पानी, बिजली, आवागमन आदि सुविधाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो एवं लोक न्यूसेंस की स्थिति निर्मित न हो, इसका पर्याप्त ध्यान रखा जावें।
3. पेड़ों को काटने के पूर्व क्षेत्र की विद्युत लाईन को सुरक्षित तरीके से हटाया जावे। आपस पास के रहवासियों को विद्युत बाधित करने की सूचना दी जावे तथा विद्युत विभाग का दल भी मौजूद रहे।
4. वृक्षों की कटाई उपरांत वन अधिनियम के तहत् लकड़ी की राशि शासकीय खजाने में जमा कराई जावें।
5. वृक्षों की कटाई की कार्यवाही का आवश्यकतानुसार वीडियोंग्राफी अथवा फोटोग्राफी कराई जावें तथा खर्च व मजदूरों के पारिश्रमिक आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।
6. काटे गये वृक्षों के एवज में 10 गुना पेड़ वन विभाग के बताये गये स्थानों पर लगाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।
7. वृक्षों को काटते समय किसी प्रकार का जन/हानि न हो इसका विशेष ध्यान रखा जावें।
8. वन विभाग अपने देख–रेख में वृक्षों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था व विधिक प्रावधान/नियम व शर्तों के अधीन ही वृक्षों की कटाई करेंगे।
9. यदि उपरोक्त वर्णित वृक्षों की कटाई को लेकर किसी भी विधिक प्रावधानों/नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो यह आदेश शून्य माना जायेगा।

आज दिनांक 14/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की पदमुद्रा से आदेश पारित एवं घोषित।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी(छ0ग0)

पृष्ठा.क्र./1721/वाचक–1/वृक्ष कटाई/2025 — मनेन्द्रगढ़ दिनांक 21/05/2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय, जिला एम.सी.बी.(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी(वन), वनमण्डल मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त नियम व शर्तो का पालन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उप मुख्य अभियंता(निर्माण), साउथ ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे, रेल्वे स्टेशन, शहडोल पिन नं0 484001 मो0 9752440219 की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यपालन अभियंता, छ0ग0 रा0विद्युत वितरण कम्पनी मर्या0, मनेन्द्रगढ़ जिला एम.सी.बी.(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़/उप तहसील नागपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी(छ0ग0)

PDF Scanner ACE Scanner